(50)

संख्याः— /XIV–1/2011–5(7)/2011

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर अक्टूबर, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–6951/लेखा–बजट/2011–12 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011, वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2010 एवं पत्र संख्याः–584/XXVII (1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारिता विभाग के सहकारिता न्यायाधिकरण आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि **₹ 90,70,000/- (रूपये नब्बे लाख सत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः–

1. अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित न किया जाय। वित्त विभाग के उपरोक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर–2 में अंकित निर्देशों के अनुपालन में त्रैमास आधार पर अनुमन्यता की सीमा के अन्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक बी0एम0–5 प्रपत्रपर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारिता न्यायधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत इकाईयो के नामे डाला जायेगाः–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु याचित धनराशि
01– वेतन	4800	4800
02– मजदूरी	60	60
03– मंहगाई भत्ता	2400	2400
06– अन्य व्यय	1300	1300
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	200	200
17– किराया उपशुल्क एवं कर–स्वामित्व	10	10
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300	300
योगः–	**9070**	**9070**

(रू0 नब्बे लाख सत्तर हजार मात्र)

3:– ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्याः–1737 (1)/XIV–1/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
3. अंपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मा0 अध्यक्ष, सहकारिता न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(गोकुलानन्द लोहनी)
उपसचिव।